

## परिपत्र

भारत से उद्भव होने वाली नियत वस्तुओं के संघटन में प्रवेश को नियंत्रित करने वाले आधिकारिक नियंत्रण एवं आपातकालीन उपायों की अस्थायी बढ़ोत्तरी पर विनियमन (ईयू) सं. 2019/1793

ईसी ने निम्नलिखित विवरणानुसार भारत से उद्भव होने वाली वस्तुओं पर नए निर्देश/अतिरिक्त जांच जारी किए हैं:

- 1) कड़ी पत्ते (*बर्गेरा/मूर्वा कोएनिजी (Bergera/Murrava koenigii)*) को अनुलग्नक I से अनुलग्नक II तक पहचान की आवृत्ति के रूप में लिया जाना चाहिए और संघटन में प्रवेश पर 50% पर भौतिक जांच स्थापित की जानी चाहिए। इसलिए भारत से कड़ी पत्तों की खेप आधिकारिक नियंत्रण के बढ़े हुए स्तर के अतिरिक्त विशेष शर्तों के अधीन होगी। यह आधिकारिक प्रमाण पत्र में वर्णित करते हुए होगा कि उत्पादों को कीटनाशक अवशेषों के लिए नमूनाकरण और विश्लेषण किया गया है और नमूनाकरण और विश्लेषण के परिणामों के आधार पर कीटनाशक अवशेषों के अधिकतम अवशेष स्तरों पर विनियमन (ईसी) सं. 396/2005 के अनुपालन को दिखाया गया है।

[https://www.fsai.ie/uploadedFiles/Legislation/Food\\_Legislation\\_Links/Pesticides\\_Residue\\_s\\_in\\_food/Regulation\\_EC\\_No\\_396\\_2005.pdf](https://www.fsai.ie/uploadedFiles/Legislation/Food_Legislation_Links/Pesticides_Residue_s_in_food/Regulation_EC_No_396_2005.pdf)

- 2) ईसी ने एफ्लाटाॉक्सिन द्वारा संदूषण के जोखिम के चलते यूरोपीय संघ को मूंगफली के निर्यात के संबंध में चिंता व्यक्त की है। (ईयू) 2022/913 के अनुसार, भारतीय मूंगफली और इसके उत्पादों की पहचान की आवृत्ति और भौतिक जांच को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। (<https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0913>)
- 3) पान के पत्ते (*पाइपर बेटल एल. (Piper betle L.)*) संघटन में उनके प्रवेश पर राष्ट्रीय सक्षम अधिकारियों द्वारा आधिकारिक नियंत्रण के बढ़े हुए स्तर के अधीन होंगे, किंतु इसे अनुलग्नक II से अनुलग्नक I विनियमन (ईयू) 2019/1793 में लिया गया है जहां खेप के साथ एक आधिकारिक प्रमाण पत्र और तीसरे मूल देश द्वारा किए गए नमूने और विश्लेषण के परिणाम की आवश्यकता नहीं है। संघटन में प्रवेश पर पहचान की आवृत्ति और भौतिक जांच 30% पर स्थापित की गई है।

- 4) जीनस *शिमला मिर्च (Capsicum)* (मीठे या मीठे के अलावा अन्य) की काली मिर्च वर्तमान में अनुलग्नक II विनियमन (ईयू) 2019/1793 में सूचीबद्ध है जहां पहचान की आवृत्ति और भौतिक जांच 20% से 10% तक कम होगी। सदस्य राज्यों द्वारा आधिकारिक नियंत्रण और उपलब्ध जानकारी एफ्लाटाॅक्सिन द्वारा संदूषण के संबंध में प्रासंगिक संघ कानून आवश्यकताओं के अनुपालन में सुधार दिखाती है।

यू. के वत्स  
महाप्रबंधक